न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

अपील रसद संख्याः 01/2021

दायर दिनांकः 18.08.2021

निर्णय दिनांक 28.06.2022

—:अनवानः—

चैन सिंह पिता श्री अन्ना सिंह रावत निवासी नया गांव भीम तहसील भीम जिला राजसमंद —— **अपीलांट**

—:बनामः—

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी राजसमन्द ——**रेस्पोडेंट**

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला रसद अधिकारी राजसमन्द बअनवान राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, राजसमंद बनाम श्री चैनसिंह, उचित मूल्य दुकानदार नयागांव तहसील भीम, प्रकरण संख्या 53/2019 निर्णय दिनांक 24.6.2021

उपस्थितः—

1— श्री रामचन्द्र देवपुरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— पेरोकार सरकार

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी राजसमन्द द्वारा दिनांक 24.06.2021 से अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान नयागांव तहसील भीम के प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाकर प्राधिकार पत्र की संपूर्ण जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार का आदेश पारित किया गया। अपीलांट द्वारा इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.08.2021 को प्रस्तुत की गई कि दिनांक 16.10.2019 को अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान का प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाकर चंद कमियां पाई जाने पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया और इससे पूर्व उसका लाईसेंस दिनांक 22.2.2019 के आदेश से निरस्त कर दिया गया। दिनांक 22.10.2019 के आदेश से 90 दिन के भीतर कार्यवाही नहीं होने पर स्वतः ही लाईसेंस के निलंबन की कार्यवाही निरस्त हो जायेगी। परंतु जिला रसद अधिकारी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिला रसद अधिकारी का उक्त निर्णय कानून के विपरीत होकर दिनांक 10.2.2021 की आदेशिका के विपरीत है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निर्णय गलत तरीके से किया गया। निर्णय से पूर्व किसी भी गवाह के बयान नहीं लिये गये। जिससे क्रॉस एक्सामीशन नहीं हो सका और निरीक्षण प्रपत्र को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो गेहूँ कम बताया गया है वह किस आधार पर बताया गया हैं और मौके पर कितना गेहूँ था जिसका तोल करने पर गेहूँ कम पाया गया है व अन्य रजिस्टर जिसके बारे में अपीलांट ने बताया कि चूहो के डर के कारण वह घर पर पड़े है तथा निरीक्षणकर्ता को उक्त रजिस्टर मंगवाने थे, परंतु उनके द्वारा रजिस्टर नहीं मंगवाये गये और साथ

ही निरीक्षणकर्ता ने यह भी माना कि गांव में नेटवर्क नहीं आता है और मगरी पर जाकर पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसके निरीक्षणकर्ता ने बताया कि यह भी एक समस्या हैं। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट के निरस्तीकरण के आदेश को निरस्त किया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तथा अपीलांट श्री चैनसिंह को 2.57 क्विन्टल गेहूँ कम पाया जाने से दिनांक 22.10.2019 को नोटिस दिया जाकर लाइसेन्स निलंबन किया गया। लाइसेन्सी द्वारा दिनांक 30.01.2020 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 16.10.2019 को वक्त निरीक्षण के दौरान मेरा प्राधिकार पत्र दुकान पर नहीं पाया गया क्योंकि गेहूँ के गोदाम में चुहे होने के कारण पास में मेरे घर पर रखा हुआ था जो मैं अभी मौके पर रखा रहूंगा। गोदाम के नक्शे भी मेरे घर पर रखे हुए थे क्योकि चुहे काटने के डर से घर पर रखे हुए थे। अभी मैं मौके पर प्रस्तुत कर दूंगा। स्टाक रजिस्टर संधारित नहीं पाया गया क्योंकि हमारे वहां पर नेटवर्क की समस्या होने के कारण कभी–कभी मशीन सुचारू रूप से नहीं चल जाती, चलती चलती मशीन बंद हो जाती, जिससे मैं स्टॉक रजिस्टर समय पर संधारित नहीं कर पाया । बिल व चालान चुहे के डर से घर पर रखे हुए थे अब मैं गोदाम पर रखा करूंगा। स्टॉक कार्ड संधारित किया था लेकिन कुछ छोटे बच्चों ने बोर्ड को साफ कर देने के कारण मौके पर संधारित नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा सूची मैंने गोदाम के बाहर चस्पा की लेकिन बारीश के कारण सारे कागज धूल कर हट गये। जबकि दूसरी पूरी खाद्य सुरक्षा सूची मेरे घर पर रखी थी। पुनः चस्पा कर दी गई है। जॉच के दौरान मेरे स्टॉक में 2.57 क्विन्टल गेहूँ कम इसलिये पाये की अधिकतर मात्रा में गेहूँ कट्टो के नीचे ढेर किये हुए थे वह वहां बिखरे पड़े थे जो करीबन पूरी मात्रा में थे। एक ऐसी भी समस्या थी कि मेरे वहां नेटवर्क नहीं होने के कारण 4–5 उपभोक्ताओं को मैंने राशन कार्ड में एन्ट्री कर उन्हें गेहूँ दे दिये अगले दिने नेटवर्क आने पर उप उपभोक्ताओं का फिंगर लिये थे । मेरे गोदाम में उक्त कारण से स्टॉक में कमी पायी गई थी। अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र बहाल करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में बताया कि अपीलांट को 2.57 क्विन्टल गेहूँ कम पाया जाने से दिनांक 22.10.2019 को नोटिस दिया जाकर लाइसेन्स निलंबन किया गया। राजस्थान फुटग्रेन्स एण्ड अदर एसेन्सियल आर्टीकल रेगुलेशन आर्डर, 1976 की धारा 8(2) के अंतर्गत लाइसेन्स निलंबन/निरस्त किया गया है जो 90 दिन के लिये ही निलंबन/निरस्त किया जा सकता है। और 90 दिन में कार्यवाही पूरी नहीं होने पर लाइसेन्स स्वतः ही अपीलांट को मिल जाता है प्रकरण में लाइसेन्स 90 दिन के बाद अपीलांट को नहीं दिया गया है। दिनांक 10.2.2021 को आर्डर शीट पर लिखा गया है कि पत्रावली फैसल की जाकर विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। जबकि निर्णय दिनांक 24.06.2021 का है। धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि 90 दिवस में लाइसेन्स निलंबन/निरस्त करे, 90 दिन बाद लाइसेन्स निरस्त नहीं कर सकते। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि जिला रसद अधिकारी, राजसमंद द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2021 को ही लिखवाया जाकर शा.मि. करवाया गया है, परंतु क्लर्क द्वारा गलती से निर्णय पर दिनांक 24.06.2021 डाल दी है। निर्णय दिनांक 10.02.2021 को ही लिखवाया जाने से आर्डरशीट पर दिनांक 10.02.2021 ही अंकित है। लाइसेन्स राजस्थान फुटग्रेन्स एण्ड अदर एसेन्सियल आर्टीकल रेगुलेशन आर्डर, 1976 में दिया है। कोविड के कारण 90 दिन में कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी थी। दिनांक सहवन से क्लर्क द्वारा गलत डाल दी गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में बताया कि अपीलांट को 2.57 क्विन्टल गेहूँ कम पाई जाने से दिनांक 22.10.2019 को नोटिस दिया जाकर लाइसेन्स निलंबन किया गया। राजस्थान फुटग्रेन्स एण्ड अदर एसेन्सियल आर्टीकल रेगुलेशन आर्डर, 1976 की धारा 8(2) के अंतर्गत लाइसेन्स निलंबन/निरस्त किया गया है और 90 दिन में कार्यवाही पूरी नहीं होने पर लाइसेन्स स्वतः ही अपीलांट को मिल जाता है लेकिन प्रकरण में लाइसेन्स 90 दिन के बाद अपीलांट को नहीं दिया गया है। दिनांक 10.2.2021 को आर्डर शीट पर लिखा गया है कि पत्रावली फैसल की जाकर विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। जबकि निर्णय दिनांक 24.06.2021 का है। पत्रावली में आर्डरशीट पर दिनांक 10.2.2021 को लिखा गया निर्णय पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा दिनांक 24.06.2021 के निर्णय का आर्डर शीट पर उल्लेख नहीं किया गया है। धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि 90 दिवस में लाइसेन्स निलंबन/निरस्त करे, 90 दिन बाद लाइसेन्स निरस्त नहीं कर सकते। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि उस समय कोविड चल रहा था, जिस कारण से दिनांक 10.2.2021 के निर्णय पर सहवन से क्लर्क द्वारा दिनांक 24.06.2021 गलत डाल दी गई । जिला रसद अधिकारी, राजसमंद द्वारा दिनांक 10.2.2021 को निर्णय लिखवाया गया हैं। निर्णय पर क्लर्क की गलती से दिनांक 24.06.2021 अंकित हो गया था,जिसका अंकन आर्डरशीट पर नहीं है। 10.2.21 के बाद आर्डर शीट नहीं है।

उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वक्त निरीक्षण लाइसेन्सी द्वारा स्टॉक रजिस्टर, लाइसेन्स आदि दुकान पर नहीं रखना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना, स्टॉक कार्ड संधारित नहीं करना, खाद्य सुरक्षा सूची गोदाम के बाहर चस्पा नहीं करना तथा भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक में 2.57 क्विन्टल गेहूँ कम पाया जाना यह स्पष्ट जाहिर करता है कि लाइसेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को नियंत्रित सामग्री से वंचित रखते हुए नियंत्रित सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.06.2021 एवं भौतिक सत्यापन और मौका निरीक्षण के अनुसार लाइसेन्सी/डीलर श्री चैन सिंह द्वारा राशन में अनियमितता कर उपभोक्ताओं को नियंत्रित सामग्री से वंचित रखने से जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट को अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा जिला रसद अधिकारी,राजसमंद के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 24.06.2021 को यथावत रखा जाता हैं।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर, राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर, राजसमंद